इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 541] भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर 2018—आश्विन 7, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ ए 3—36/2018/1/पांच (90) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **परिषद् की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर, जो अभिकर्ता नहीं है, जहाँ ऐसे प्रदायों के सम्बन्ध में प्रतिफल का संग्रहण उक्त ऑपरेटर द्वारा किया जाता है, अन्य प्रदायकर्ताओं द्वारा उसके माध्यम से किये गए अंतरा-राज्यिक कराधेय प्रदायों के शुद्ध मूल्य के आधे प्रतिशत की दर पर रकम संग्रहीत करेगा।**

2. यह अधिसूचना 20 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2018

क्र. एफ ए 3-36-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-36-2018-1-पांच (90), दिनांक 29 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 29th September 2018

No. F A 3-36/2018/1/V (90) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that every electronic commerce operator, not being an agent, shall collect an amount calculated at a rate of half per cent of the net value of intra-State taxable supplies made through it by other suppliers where the consideration with respect to such supplies is to be collected by the said operator.

2. This notification shall deemed to have come into force w.e.f. 20th of September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.